न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म0प्र0) (180)

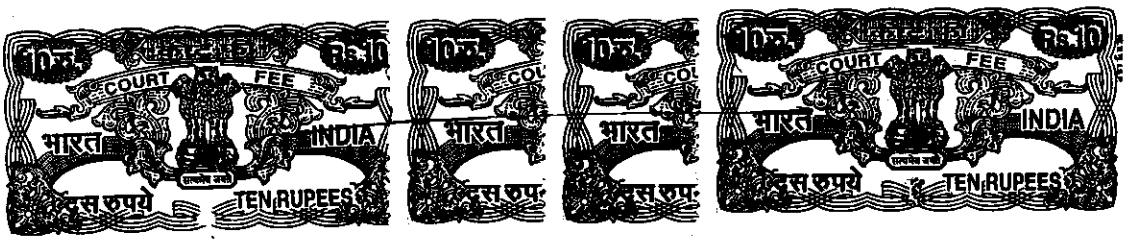

R 5173-II/15 Rs 40/-

1— प्रदीप कुमार भारूका तनय श्री केसरदेव भारूका उम्र 54 वर्ष,

2— अमरदीप भारूका तनय श्री केसरदेव भारूका, उम्र 46 वर्ष, निवासी

3— दिलीप भारूका तनय श्री केसरदेव भारूका, उम्र 39 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम बैढ़न पोस्ट आफिस बैढ़न, तह0 सिगरौली, जिला सिंगरौली (म0प्र0) ————————निगरानीकर्तागण

बनाम्

1— शासन म0प्र0 द्वारा जिला सिंगरौली म0प्र0

2— अर्जुन प्रसाद तनय बबुआराम वैस सा0 मनिहारी, तह0 देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

———————— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तह0 देवसर बृत्त बरगवॉ, जिला सिंगरौली (म0प्र0)के प्रकरण कमांक 71अ—6ए/11—12 पारित आदेश दिनांक 13.01.2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

यह कि भूमि खसरा कमांक 1305 रकवा 0.093हे. 1307 रकवा 0.063हे. 1311 रकवा 1.43हे. 1309/2 रकवा 1.00 कुल किता 4 कुल रकवा 2.00हे. स्थित ग्राम मनिहारी, हल्का मदौली, तह0 देवसर, जिला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्तिं आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5173–दो/15 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 कुशवाह द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील देवसर वृत्त बरगवां जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 71/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.1.12 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 3 वर्ष 10 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	